

## थाना कबरई पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध रूप से संचालित जुआ/सट्टा में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 15.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी थाना कबरई श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 राशिद अली के नेतृत्व में गठित हुयी पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. आशीष द्विवेदी पुत्र महेश चन्द्र द्विवेदी उम्र करीब 26 वर्ष निवासी मुहल्ला किदवई नगर कस्बा व थाना कबरई जिला महोबा, 2. गोविन्द सोनी पुत्र जमुना प्रसाद सोनी उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मुहल्ला गांधीनगर कस्बा व थाना कबरई जिला महोबा, 3. पीयूष पुत्र कामता प्रसाद उम्र करीब 19 वर्ष निवासी मुहल्ला जवाहर नगर कस्बा व थाना कबरई जिला महोबा, 4. अशोक कुमार वर्मा पुत्र सोनेलाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी बीला दक्षिण थाना कबरई जनपद महोबा को थानाक्षेत्र अन्तर्गत ओ0पी0 पेट्रोल पम्प के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से माल फड़ 2950 रुपये व 52 अदद ताश पत्ते व जामा तलाशी के 540 रुपये बरामद हुए, बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 50/2023 धारा 13 जुआँ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 राशिद अली
2. हे0कां0 रामकरन
3. हे0कां0 वसीम अहमद

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आशीष द्विवेदी, 2. गोविन्द सोनी, 3. पीयूष, 4. अशोक कुमार वर्मा

बरामदगी- माल फड़ 2950 रुपये व 52 अदद ताश पत्ते व जामा तलाशी के 540 रुपये।



## थाना कबरई पुलिस टीम ने हत्या के वांछित अभियुक्त को 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार कर जेल भेजा।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराध एवं अपराधियों पर लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है जिसके अनुपालन में आज दिनांक 15.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0 51/23 धारा 302 भादवि थाना कबरई में हत्या के अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त रामबालक पाल पुत्र मइयादीन पाल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बन्नी थाना खन्ना जनपद महोबा को मुखबिर की सूचना पर थाना कबरई क्षेत्र अन्तर्गत बरबई मोड़ के मंदिर के सामने से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त गिरफ्तार अभियुक्त को मां0 न्यायालय में पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक बीरेन्द्र प्रताप सिंह
2. हे0कां0चा0 सत्येन्द्र प्रसाद द्विवेदी
3. कां0 अवनेश कुमार 4.कां0 जयप्रकाश

### गिरफ्तार अभियुक्त-

रामबालक पाल पुत्र मइयादीन पाल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बन्नी थाना खन्ना जनपद महोबा



दिव्यांग महिला का सहारा बनी पुलिस अधीक्षक महोबा, पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान स्वयं उनके पास जाकर सुनी समस्या, जिसके निस्तारण के लिये सम्बन्धित को दिये निर्देश -

आज दिनांक 15.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई।

जनसुनवाई के दौरान एक महिला जो दिव्यांग होने के कारण चल पाने में असमर्थ थी जो अपनी समस्या के समाधान हेतु पुलिस कार्यालय आये हुये थे, जिसकी सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं उनके पास जाकर उनकी समस्या गम्भीरता पूर्वक सुनी गयी, जिसके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को मौके पर ही आदेशित किया गया।



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा नई पहल के तहत की गयी जनसुनवाई, जनसुनवाई के दौरान गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हुये थानों को पीडितों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में दिये आवश्यक निर्देश..

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपद महोबा में नई पहल के तहत जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये जनसुनवाई की जा रही है, जिसके क्रम में नई पहल के तहत आज दिनांक 15.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई की गयी ।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा गूगल मीट की गयी जिसमें जनपद के प्रत्येक थाने के दिवसाधिकारी जुड़े रहे, इस दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं को लेकर आये उनसे उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया जिसके क्रम में फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिये पुलिस अधीक्षक द्वारा गूगल मीट के जरिये थानों के दिवसाधिकारियों को पीडित की समस्या का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने/कराये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये ।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त हुयी जनशिकायतों के पर्यवेक्षण के लिये बनाये गये व्हाट्सएप ग्रुप जिसका पर्यवेक्षण स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जा रहा है, इस ग्रुप में प्रतिदिन आने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों को प्रेषित किया जाता है जिसके निस्तारण की आख्या व्हाट्सएप ग्रुप में उसी दिन सायं तक जांचअधिकारी द्वारा प्रेषित की जाती है ।




## पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरपूर सा।

आज दिनांक **15.03.2023** को श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी। स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के ई-चालान किये गये।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 15.03.2023

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस